आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 177/13–14

चन्द्रमौली मिश्र वनाम् गुप्तेश्वर मिश्र एवं अन्य

आदेश

17.04.15

आवेदक चन्द्रमौली मिश्र, पिता स्व०–विश्वनाथ मिश्र, ग्राम+पोस्ट–बेलसार, थाना–मेहन्दिया,जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि को मापी कराने एवं दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम–वेलसार,थाना–मेहन्दिया,जिला–अरवल,में अवस्थित है निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
40 110	2294 2293	7 डी०	उत्तर–गौरी शंकर मिश्र,अरूण मिश्र व वरूण मिश्र वगैरह,दक्षिण–गुप्तेश्वर मिश्र (विपक्षी), पूरब–नीज (वादी) चन्द्रमौली मिश्र,अरविन्द शर्मा,प्रमोद शर्मा वगैरह,पश्चिम–प्लॉट नं० 1910 (नीज मकान)

वाद की प्रविष्टी की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनने के उपरान्त विवादित भूमि की नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री प्रभाष चन्द्र महाराज से कराई गई। अधिवक्ता आयुक्त ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 07.11.2014 को समर्पित किया। उक्त प्रतिवेदन पर प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आपति दाखिल किया गया जिसपर उभय पक्षों की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) अधिवक्ता आयुक्त द्वारा जो नापी प्रतिवेदन समर्पित की गई है वह कानून और न्याय दोंनों नजरों में गलत है।

(2) अधिवक्ता आयुक्त ने कही भी स्थल पैमाईश में निश्चित विन्दू नहीं पकडा है और जो नापी उठाया है उसमें स्पष्ट तौर पर कौन सी प्लॉट कितनी कडी पर स्थित है और नापी के दौरान जमीन पर कितना चेन चलने पर किस प्लॉट की दूरी कितनी हुई, यह नही लिखा है।

(3) अधिवक्ता आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में केवल गोल मटोल बातें लिखा है कि

सभी दूरियॉं, नक्सा के अनुसार सही पाया। अधिवक्ता आयुक्त ने यह नही लिखा है कि अमुक प्लॉट नक्शा पर कितनी कड़ी है और पैमाईश के दौरान कितनी कड़ी पाया। अधिवक्ता आयुक्त के रिपोर्ट मे कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि फिक्सड विन्दू वाले प्लॉट से वादग्रस्त प्लॉट की दूरी कितनी है ताकि यह सही में पता चलता कि फिक्सड विन्दू से वादग्रस्त प्लॉट की दूरी और नक्से से फिक्स विन्दू वाली प्लॉट व वादग्रस्त प्लॉट की दूरी क्या है।

(4) अधिवक्ता आयुक्त ने नापी के दौरान कही भी वादग्रस्त भूमि को नापने का काम नहीं किया बल्कि केवल मुँह मिलाने का काम किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि नापी एक निश्चिम विन्दू लेकर किया गया है। नापी के समय उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं उभय पक्ष उपस्थित थे। नापी प्रतिवेदन में कोई त्रुटि नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के नापी प्रतिवेदन का अवलोकन किया। सर्वे जानकार अधिक्कता आयुक्त ने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं उभय पक्ष के समक्ष नापी किया है। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने निश्चित विन्दू, जिसे फिल्ड बुक में गोलवृत (लालरंग) से धेरकर दिखाया गया है, से नापी किया है। अतः आवेदक के आपति आवेदन को खारिज किया जाता है और नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट किया जाता है।

नापी प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी का प्लॉट नं० 2840 के उतर भाग पर बने ईट के दीवार से उतर, उतर पूरब भाग में 15 इंच एवं उतर पश्चित भाग 6 इंच विवादित प्लॉट में बचता है। चूँकि 15 इंच वो 6 इंच बहुत ही छोटी रकवा है जिसे नापी में संभावित त्रुटि माना जा सकता है, वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

17.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

17.4

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।